न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 386/2022

अनवान मुकदमा -

1. लिछमन पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. नोपाराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. लालचन्द पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. रामकुमार पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. पतराम पुत्र धनाराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मीरा पुत्री पतराम जाति जाट साकिन 7 एमजेडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कमला पुत्री पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर, अधिवक्ता -- वादीगण
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता -- प्रतिवादीगण

-:: निर्णय :-

दिनांक - 16/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 ता 3 के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण का सही पता दावा के शीर्षक में अंकित है। यह कि वादीगण व प्रतिवादी न. 1 एक ही हिन्दू (सिख) खान दान के सदस्य है जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।

वाके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 जेडडब्ल्यूडी-बी के खाता सं. 7/6 के प.न. 107/378 (10) की 1.354 हैक्टेयर, प.नं. 107/379(19) की 0.759 हैक्टेयर कुल 2.1130 हैक्टेयर कमाण्ड दर्ज रिकॉर्ड है।

वाके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 27/21 के प.न. 105/380 (42) की 3.541 है0, प.नं. 105/381 की 1.518 हैक्टेयर, प.नं. 106/379 (20) की 3.036 है0, प.नं. 106/380 (43) की 3.642 है0, प.नं. 106/381 (47) की 0.481 है0 कुल खाता 12.218 हैक्टेयर कमाण्ड दर्ज रिकॉर्ड है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के दादा धनाराम से प्राप्त हुई है। उक्त पैतृक कृषि भूमि की फसल पैदावार व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त आय से वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित भूमि दर्जित कर उसकी किश्ते जमा करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई जो भी पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में आती है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। उक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है

16/06/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें प्रतिवादीगण अपने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। वे अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। घरू बंटवारा में वाद पत्र की दफा 3 व 4 में विर्णत भूमि वादीगण को ब.हि.ब. प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या । के जीवनयापन के ए उसके पास अन्य चकों में कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या । के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब वह 5 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद का कारण है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे-

घोषित किया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 6 जेडडब्ल्यूडी-बी के खाता सं. 7/6 के प.न. 107/378(10) के कि0न0 6/1, 6/3, 7 ता 11 की 1.354 हैक्टेयर, प.नं. 107/379(19) के कि0न0 11, 20, 21 की की 0.759 हैक्टेयर कुल 2.1130 हैक्टेयर कमाण्ड व तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 27/21 के प.न. 105/380(42) के कि0न0 11 ता 25/2 की 3.541 है0, प.नं. 105/381(48) के कि0न0 3/1 ता 8 की 1.518 हैक्टेयर, प.नं. 106/379(20) के कि0न0 1 ता 10, 14, 15 की 3.036 है0, प.नं. 106/380(43) के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 23/2 की 3.642 है0, प.नं. 106/381(47) के कि0न01/2 ता 2/2 की 0.481 है0 कुल खाता 12.218 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.12.2021 को वादीगण 1 ता 4 व प्रतिवादीगण 1 ता 3 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हमनें सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो ऐसे पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया

16/06/2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण । ता 4 व प्रतिवादी । ता 3 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 6 जेडडब्ल्यूडी-बी के खाता सं. 7/6 के प.न. 107/378(10) के कि0न0 6/1, 6/3, 7 ता 11 की 1.354 हैक्टेयर, प.नं. 107/379(19) के कि0न0 11, 20, 21 की की 0.759 हैक्टेयर कुल 2.1130 हैक्टेयर व तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 27/21 के प.न. 105/380(42) के कि0न0 11 ता 25/2 की 3.541 है0, प.नं. 105/381(48) के कि0न0 3/1 ता 8 की 1.518 हैक्टेयर, प. नं. 106/379(20) के कि0न0 1 ता 10, 14, 15 की 3.036 है0, प.नं. 106/380(43) के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 23/2 की 3.642 है0, प.नं. 106/381(47) के कि0न01/2 ता 2/2 की 0.481 है0 कुल खाता 12.218 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

16/06/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 386/2022

अनवान मुकदमा -

1. लिछमन पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. नोपाराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. लालचन्द पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. रामकुमार पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. पतराम पुत्र धनाराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मीरा पुत्री पतराम जाति जाट साकिन 7 एमजेडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कमला पुत्री पतराम जाति जाट साकिन 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: डिक्री :-

दिनांक -16/06/2022

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार(आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 3 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 6 जेडडब्ल्यूडी-बी के खाता सं. 7/6 के प.न. 107/378(10) के कि0न0 6/1, 6/3, 7 ता 11 की 1.354 हैक्टेयर, प.नं. 107/379(19) के कि0न0 11, 20, 21 की की 0.759 हैक्टेयर कुल 2.1130 हैक्टेयर व तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 27/21 के प.न. 105/380(42) के कि0न0 11 ता 25/2 की 3.541 है0, प.नं. 105/381(48) के [illegible] ता 8 की 1.518 हैक्टेयर, प. नं. 106/379(20) के कि0न0 1 ता 10, 14, 15 की [illegible] 6 है0 [illegible] नं. 106/380(43) के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 23/2 की 3.642 है0, [illegible] ता 2/2 की 0.481 है0 कुल खाता 12.218 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि के [illegible] बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested

16/06/2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 16/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

16/06/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested